न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10 / 2023

प्रार्थी–

चन्द्रवीरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बलाई
2. गिरधरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी बलाई तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 67 दिनांक 16.09.2019 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बलाई द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 09.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बलाई द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बलाई में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 67 दिनांक 16.09.2019 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2400 वर्गफुट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के ... की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, ... एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम ... की धारा 97 के ... जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बलाई का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव बलाई का मूल निवासी है। ग्राम पंचायत बलाई द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, कारण कि वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा रहा है और न ही यह भूमि मौके पर आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत बलाई द्वारा राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी करने का लिखा है, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर पुराना कब्जा (50 वर्ष या उससे अधिक का कब्जा) होना चाहिए, परन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 02 का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा है। जिस जगह का पट्टा बताया गया है वह आबादी की भूमि न होकर आम रास्ता की भूमि है। ग्राम पंचायत बलाई ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 67 दिनांक 16.09.2019 न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दूषित होने से निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।

5. अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से [illegible] पर वादग्रस्त भूमि की जांच नहीं की गई मौके पर वादग्रस्त भूमि [illegible] न होकर आम रास्ता की भूमि है जो रास्ता प्रार्थी के घर तक आने–जाने का एकमात्र आवागमन का रास्ता है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत बलाई द्वारा अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 02 के पक्ष मे पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 160 के प्रावधानो की कतई पालना नहीं की गई है, न तो विप्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए कोई प्रार्थना–पत्र ग्राम पंचायत मे पेश किया गया, न ही कोई प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। इसके साथ न ही आवेदन शुल्क, न ही नक्शा शुल्क, मौका रिपोर्ट का शुल्क जमा करवाया न ही तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट मंगवायी, न ही आपत्ति नोटिस जारी किया, न ही आपत्ति नोटिस चस्पा करवाया गया, न ही ग्राम पंचायत बलाई द्वारा कोई मीटिंग की गई, न ही पट्टे बाबत ग्राम पंचायत मे कोई प्रस्ताव लिया गया। अतः अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए पुराने कब्जे व रहवास का पट्टा विलेख जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बलाई द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बलाई में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 67 दिनांक 16.09.2019 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2400 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त [illegible] पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डिवीजन बैंच अनवान इसाक खान बनाम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान राज्य विशेष अपील रिट संख्या 918/2017 निर्णय दिनांक 23.10.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:-

"Lastly, coming to the effect of registration of the patta issued by the Gram Panchayat, suffiee it to say that the registration of the document by itself does not confer any title over the property and thus, if the patta on the strength of which appellant was claiming right over the disputed land, is found to be illegal and void, the State Government exercising revisional power under Section 97 of that Act, was well within its jurisdiction in annulling the decision of the Gram Panchayat in pursuance whereof the appellant was claiming right over the disputed proiperty."

हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अन्नापति प्रमाण-पत्र में पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत के 2 मूल निवासी के हस्ताक्षर नहीं है, इसके साथ ही पटवारी हल्का द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पट्टे जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत बलाई के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 की ओर से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सार्वजनिक आपति प्रमाण-पत्र का नोटिस विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं हैं। इसके अलावा आदेशिका में जिन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया है, उनके पूर्ण विवरण भी अंकित नहीं हैं ऐसे में जो मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होकर पत्रावली में सम्मिलित की गई है व अप्राधिकृत रूप से तैयार मौका रिपो[illegible] कब्जे एवं आधिपत्य के साथ-साथ स्वामित्व [illegible] ग्राम पंचायत बलाई द्वारा अनियमित, अविधिक ए[illegible] द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 67 दिनांक [illegible]09.2019 एवं उसके अनुसरण में उल्लेखित की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत बलाई द्वारा जारी पट्टा सं. 67 दिनांक 16.09.2019 जारी करने की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:37:13 IST
Reason: SelfAttested